झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–921 वर्ष 2017

शिव नारायण पासवान, पे0 स्वर्गीय लखन पासवान, निवासी ग्राम–पशनौर, डाकघर एवं थाना–गावां, जिला–गिरिडीह .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बंदेय सिंह

2. नवल सिंह

दोनों पे0 स्वर्गीय बासुदेव प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम–पशनौर, डाकघर एवं थाना–गावां, जिला–गिरिडीह

3. बिहार राज्य वर्तमान में झारखण्ड राज्य

4. उपायुक्त, जिला कलेक्ट्रेट, डाकघर, थाना और जिला–गिरिडीह

5. अनुमण्डल अधिकारी, डाकघर, थाना और जिला–गिरिडीह

6. अपर समाहर्ता, डाकघर, थाना और जिला–गिरिडीह

7. भूमि सुधार उप समाहर्ता, डाकघर, थाना और जिला–गिरिडीह

8. प्रखण्ड विकास अधिकारी, डाकघर एवं थाना–गावां, जिला–गिरिडीह

9. अंचलाधिकारी, डाकघर, थाना और जिला–गिरिडीह

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री सतीश कु0 उघल, अधिवक्ता

राज्य के लिए:– श्री जे0एफ0 टोप्पो, एस0सी0 (एल एंड सी)

06/10.10.2018 याचिकाकर्ता विविध अपील संख्या 03/2010 में पारित दिनांक 26.09.2016 के आदेश से व्यथित हैं जिसके द्वारा अपीलीय न्यायालय ने विविध वाद संख्या 06/2008 में दिनांक 03.02.2010 को पारित आदेश की पुष्टि की है। टाइटल सूट संख्या 21/2008 की पुनःस्थापन के लिए विविध मामला दायर किया गया था।

2. लाखन पासवान द्वारा पशनौर गांव के ग्रामीणों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में टाइटल सूट संख्या 21/1998 में दायर किया गया था। वाद के लंबित रहने के दौरान, आदेश XXII नियम 4 सीपीसी के तहत एक आवेदन की अनुमति दी गई थी और वादी को मामले में कदम उठाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था, हालांकि, और अवसर दिए जाने के बावजूद, वादी ने मामले में कदम नहीं उठाए और परिणामस्वरूप वाद डिफॉल्ट के रूप में खारिज कर दिया गया। सूट को उसकी मूल फाइल में पुनः स्थापन करने की मांग करते हुए विविध वाद संख्या 06/2008 दर्ज किया गया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी द्वारा उपेक्षा की गई थी और इसलिए विविध वाद संख्या 06/2008 को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध वादी ने विविध अपील संख्या 03/2010 दायर की है। अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी की मृत्यु हो गई और उसके बेटे, जो याचिकाकर्ता है, ने उसके प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन दायर किया। अपीलीय अदालत ने कहा है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वादी के बेटे को पंचायत के सदस्यों द्वारा पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करने और विविध अपील संख्या

03/2010 के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया गया है। तथ्य जानने के बाद, मैं दिनांक 26.09.2016 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ और तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, हालांकि, पशनौर गांव के ग्रामीणों के लिए विविध अपील संख्या 03/2010 के विरूद्ध परिसीमा विधि के अधीन वाद दायर करने के लिए खुला रहेगा।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)